

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास(विनियमन)-04/2025- 121

पटना, दिनांक- 19/8/26

कार्यालय आदेश

श्री अमरकेश डी0, भा0पु0से0, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक(साईबर), आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना सम्प्रति पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय जाँच एजेन्सी (NIA), नई दिल्ली से प्राप्त आवेदन के आलोक में उन्हें आवंटित आवास सं0-E2/501, गर्दनीबाग, पटना को आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली-1986 के कंडिका-11(2) के तहत पुत्र/पुत्री की शिक्षा हेतु दिनांक- 01.08.2026 से 31.10.2026 तक (कुल तीन माह) मानक किराया के दो गुना प्रतिमाह की दर से किराया एक मुश्त अग्रिम चुका दिए जाने की शर्त पर आवास दखल में रखने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक:- भवन/भू-सम्पदा-01-आवास(विनियमन)-04/2025- 7809(4) पटना, दिनांक:- 19/8/26

प्रतिलिपि:-सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/Deputy Inspector General

(Admin), National Investigation Agency, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003/

श्री अमरकेश डी0, भा0पु0से0, पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय जाँच एजेन्सी (NIA), सी0जी0ओ0

कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003/मुख्य अभियंता (पटना)/कार्यपालक अभियंता,

गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य

प्रमण्डल सं0-01 एवं 02/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू), पटना/आई.टी.

मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।